-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना बबेरु क्षेत्र में वर्ष-2018 में महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दिलाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2018 में थाना बबेरु क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्रान्तर्गत एक गांव की रहने वाली महिला ने दिनांक 25.01.2018 को थाना बबेरु पर सूचना दी कि ग्राम पाली के रहने वाले सोमदत्त उर्फ पप्पू पुत्र गुलाब लोध ने उसके साथ दिनांक 22.01.2018 को दुष्कर्म किया गया था तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बबेरु में मु0अ0सं0 10/2018 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना श्री रीतेश कुमार गुप्ता द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री रामकुमार सिंह व श्री मनोज दीक्षित द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी रुबी देवी व महिला आरक्षी तनीषा कुशवाहा तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. सोमदत्त उर्फ पप्पू पुत्र गुलाब लोध निवासी पाली थाना बबेरु जनपद बांदा।